



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092021-229579
CG-DL-E-13092021-229579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]
No. 515]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2021

सं. 72/2021-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 629(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/94-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 828(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-----

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (च) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के बाद और कॉलम (4) में, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएंगी, यथा:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विमान पत्तन	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
		“(छ) कुशीनगर	सामान की उतराई एवं सामान की लदाई।”।

[फा. सं. 394/61/2020-सीमाशुल्क (एएस)]

शरद श्रीवास्तव, निदेशक

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. सं. 828(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 18 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 118(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2021 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2021

No. 72/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-CUSTOMS (N.T.), dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 16, in columns (3), after item (f) and the entries relating thereto and in columns (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	State/ Union Territory	Airport	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
		“(g) Kushinagar	Unloading of baggage and the loading of baggage. ” .

[F. No. 394/61/2020-Cus(AS)]

SHARAD SRIVASTAVA, Director

Note : The principal notification No. 61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 24/2021-Customs (N.T.), dated the 18th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 118 (E), dated the 18th February, 2021.